

10/11/22

पदावली पेश हुई। वकील प्राची की ओर
 से 'नोट-प्रेस' चिका जाकर आवासी
 कार्यवाही शेष करवाने का निर्देश दिया
 गया। मूल वाद नोट-प्रेस में खासि चिका
 जाकर हुआ है, पदावली में अब कोई
 कार्यवाही का औचित्य भी नहीं है। अतः
 पदावली नोट-प्रेस में खासि की जाकर
 आवासी कार्यवाही शेष की जाते हैं।
 पदावली फौजदारी सुनार केर नंबर के
 काम लेकर दाखिल दफ्तर से। निर्णय
 सुले अशालय में सुनाया जाकर अरे
 हस्ताक्षर व अशालय सुना से जारी
 किया गया।

सहायक कलेक्टर
 सांभर लोक (जयपुर)

Made press
 परमपद
 (M)

